विद्यालय - MANGALAM DAV PUBLIC SCHOOL MORAK (P25288) आवेदन क्रमांक : 41661

मान्यता कोड : RJKOT32554

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक KOTA , राजस्थान

क्रमांक 222 दिनांक 17-02-2023

सचिव

प्रबंध समिति

MANGALAM DAV PUBLIC SCHOOL MORAK

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41661 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, MANGALAM DAV PUBLIC SCHOOL MORAK पता ADITYA NAGAR, BASANT VIHAR MORAK ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय MODAK GAON ब्लॉक KHAIRABAD आसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) Mangalam Cement Plant खसरा न. 1 को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	MANGALAM DAV PUBLIC SCHOOL MORAK
स्वीकृत नवीन नाम	MANGALAM VIDYA VIHAR MORAK

प्रबन्ध अंतरण के लिए विवरण			
पूर्व सोसाइटी का नाम	Dav college trust managing society		
पूर्व सोसाइटी पंजीयन संख्या	S-9 of 1948-1949	पूर्व सोसाइटी पंजीयन दिनांक	02/07/1948
नवीन सोसाइटी का नाम	MANGALAM PRAGATI FOUNDATION		
नवीन सोसाइटी पंजीयन संख्या	U80900WB2021NP246614	नवीन सोसाइटी पंजीयन दिनांक	22/07/2021

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, माध्यमिक कोटा

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

रजिस्टर्ड/ई-मेल

क्रमांक: प.9(41)शिक्षा–5/मान्यता अपील/2022

दिनांक: 30 JAN 2023

आदेश

गैर सरकारी विद्यालय मंगलम डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, मोडक, आदित्य नगर, कोटा द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 में नाम परिवर्तन एवं प्रबन्धन अन्तरण की स्वीकृति हेतु आवेदन (क्रमांक–41661) प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर निदेशक द्वारा नाम परिवर्तन की स्वीकृति जारी करते हुए प्रबन्ध अन्तरण के आवेदन को खारिज कर दिया गया। संस्था के आवेदन को खारिज किये जाने पर संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के नियम–6 एवं धारा–4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

संस्था द्वारा प्रस्तुत अपील पर निदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय पूर्व में सीबीएसई एनओसी संबद्धता प्राप्त है। प्रबन्ध अन्तरण के आवेदन के संबंध में दोनो संस्थाओं के प्रस्ताव की प्रति संलग्न नहीं है, आवेदन में सभी कक्षा–कक्ष 7x6 वर्गमीटर के प्रदर्शित है। अतः प्रकरण आक्षेपित किया गया। संबंधित संस्था द्वारा आक्षेप पूर्ति के संबंध में निर्धारित समयावधि में दस्तावेज ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरण में नाम परिवर्तन की स्वीकृति जारी कर दी गई तथा प्रबन्ध अन्तरण का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

प्रस्तुत अपील पर दिनांक 27.01.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई में संस्था की ओर से प्रतिनिधि श्री मुकेश मेवाड़ा एवं निदेशक प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार व्यास, अति. प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। संस्था प्रतिनिधि द्वारा निदेशालय के आक्षेपों के संबंध में डी.ए.वी. कॉलेज मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक 05.12.2022 को जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, दोनो संस्थाओं के मध्य लिखित सहमति एवं प्रस्ताव की प्रति तथा विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी से प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति प्रस्तुत की गई।

संस्था प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं निदेशक प्रतिनिधि द्वारा गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा निदेशालय के आक्षेपों की पूर्ति के संबंध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए है। अतः उपरोक्त तथ्यों/दस्तावेजों के मद्देनजर उक्त विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2022–23 में आवेदनानुसार प्रबन्ध अन्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्रवीण कुमार लेखरा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालय से नियमानुसार निर्धारित राशि के एफ.डी. एवं डी.डी. आदि प्राप्त कर, निदेशालय को प्रेषित करावें तथा उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही कर, शीघ्र इस विभाग को अवगत करावें।
3. सचिव, मंगलम डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, मोडक, आदित्य नगर, कोटा। 326520

विशिष्ट शासन सचिव